

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला

भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 1287/15

संस्थित दिनांक-17.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

राजपूत उर्फ रामभरत पुत्र रामवीरसिंह बघेल

उम्र 21 साल, निवासी वैसपुरा मौजा भौनपुरा

थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 13.01.17 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 354 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 28.11.15 को 14:00 बजे नकटू की नरिया बैसपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर अभियोक्त्री (न्यायदृष्टांत भूपेन्द्र शर्मा विरुद्ध हिमाचल राज्य 2003 पार्ट-8 एस0सी0सी0-551 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार) जो कि एक स्त्री है, की लज्जा का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि अभियोक्त्री दिन के करीब दो बजे अपने घर से शौच के लिए नकटू की नरिया बैसपुरा गयी थी। जब वापस आ रही थी तभी बगल से अभियुक्त आया और अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर छेड़खानी की और अभियोक्त्री की जेट भर कर (जकडकर) छाती दबाई। जब अभियोक्त्री चिल्लाई तो केशकली बघेल आ गयी जिसे देखकर अभियुक्त आसन नदी की तरफ भागने लगा, तभी अभियोक्त्री का भाई बंटी व पिता नत्थीसिंह आ गए। उन्होंने अभियुक्त को भागते हुए देखा। तत्पश्चात् अभियोक्त्री ने अपने पिता के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट की। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0-142/15 पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियोक्त्री का दफ्तर की धारा 164 का कथन कराया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

3. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने उसके निर्दोष होने व पारिवारिक रंजिश के कारण घर के गवाह बनाकर झूठा फंसाए जाने का कथन किया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.11.15 को 14:00 बजे नकटू की नरिया बैसपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर अभियोक्त्री, जो कि एक स्त्री है, की लज्जा का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियोक्त्री अ0सा0 1, श्रीमती केशकली अ0सा0 2, नत्थीसिंह अ0सा0 3, बाल्मीकि चौबे अ0सा0 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में शिवराम ब0सा0 1 तथा अभियुक्त ने स्वयं को ब0सा0 2 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

6. अभियोक्त्री अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती है कि घटना दि0 28.11.15 के दो बजे की है। वह लेटरिन (शौच) करने नकटू की नरिया में गयी थी। वह शौच करके अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में अभियुक्त राजपूत मिला और उसने बगल में आकर अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया और जेट भर ली तथा अभियोक्त्री की छाती दबाई। यह भी कथन करती है कि खीचतान में उसके कपड़े फट गए थे। जब अभियोक्त्री पापा पापा चिल्लाई तो केशकली नाम की महिला आ गयी, फिर केशकली ने अभियुक्त को पत्थर मारा तो अभियुक्त आसन नदी की तरफ भाग गया। उसके बाद अभियोक्त्री के पिता व भाई बंटी आ गए। घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में प्र0पी0 1 की किया जाना बताती है, रिपोर्ट प्र0पी0 1 में ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करती हैं। इसी प्रकार से नक्शामौका प्र0पी0 2 पर भी ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित करती हैं। केशकली अ0सा0 2 घटना दिनांक व सुसंगत समय पर अपनी जगह में गोबर के कण्डे थापने का कथन करती है, यह बताती है कि उसने देखा कि उसके सामने अभियोक्त्री शौच करने के लिए नकटू की नरिया में गयी थी। जब लेटरिन कर अभियोक्त्री वापस आ रही थी तो रास्ते में अभियुक्त राजपूत अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर, जेट भरकर उसकी छाती मसक (दबा) रहा था। इस प्रकार से केशकली अ0सा0 2 द्वारा अभियोक्त्री के कथनों की चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पुष्टि की है।

7. प्रकरण में साक्षी नत्थीसिंह अ0सा0 3 जो कि अभियोक्त्री के पिता हैं, यह कथन करते हैं कि घटना 28.11 की है किन्तु वर्ष याद नहीं हैं। दिन के दो ढाई बजे की बात है वे लेटरिन करके वापस आकर पुरा के पास बैठे थे तभी नरिया तरफ से आवाज आई तो वह भागकर गए। उन्होंने अभियुक्त को आसन नदी की तरफ भागते देखा। अभियुक्त के संबंध में उसकी लडकी द्वारा बताया गया कि जब वह शौच करने गयी थी तो अभियुक्त राजपूत ने लडकी के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ कर जेट भर ली। यद्यपि इस साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी न होकर घटना के तुरंत पश्चात् पहुंचकर अभियुक्त के घटना स्थल से भागने के परिणाम के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में उपबंधित "रेसजेस्टे" के सिद्धांत के अनुसार कथन करता है।

8. प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री के भाई बंटी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुसंधानकर्ता बाल्मीक चौबे अ0सा0 4 दिनांक 29.11.15 को उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेचना हेतु प्राप्त होने का कथन करते हुए बताते हैं कि उन्होंने उक्त दिनांक को अभियोक्त्री की निशांदेही पर नक्शामौका प्र0पी0 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं, इसके अतिरिक्त साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए जाने का भी कथन करते हैं। प्रकरण में अभियोक्त्री अ0सा0 1 व उसके कथनों की संपुष्टिकर्ता केशकली अ0सा0 2 के द्वारा सारवान रूप से घटना के संबंध में कथन किया है।

9. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया बल्कि पारिवारिक रंजिश के कारण हितबद्ध साक्षियों द्वारा उसे असत्य रूप से फंसाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से पारिवारिक रंजिश होने का कथन अवश्य किया गया है किन्तु अभियोक्त्री अ0सा0 1, केशकली अ0सा0 2 तथा अभियोक्त्री के पिता नत्थीसिंह अ0सा0 3 किसी भी साक्षी को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि अभियुक्त या उसके परिवार से अभियोक्त्री या उसके परिवार की किस बात की रंजिश थी। इसके अतिरिक्त बचाव साक्ष्य में साक्षी शिवराम ब0सा0 1 तथा स्वयं अभियुक्त राजपूत ब0सा0 2 के द्वारा भी अपने कथन में यह स्पष्ट नहीं किया कि किस बात की पारिवारिक रंजिश विद्यमान रहीं जिसके लिए अभियुक्त के विरुद्ध कथन किया गया है। जहां तक रंजिश संबंधी बचाव का प्रश्न है तो आपराधिक विधि में रंजिश दो धारी तलवार की भांति होती है जो यदि प्रमाणित न हो तो ऐसी दशा में अपराध को कारित किए जाने का सुसंगत हेतुक भी हो सकती है।

10. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षीगण परस्पर हितबद्ध हैं ऐसी दशा में उनकी साक्ष्य पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में जहां साक्षियों के हितबद्ध होने का प्रश्न है तो इस संबंध में कोई भी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया कि उनके अभियुक्त के विरुद्ध कथन किए जाने का क्या कारण है। न्यायदृष्टांत **राजीव लोचनसिंह विरुद्ध म०प्र० राज्य-2014 (3) जे०एल०जे०-130 डी०बी०** की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल साक्षी के हितबद्ध होने के कारण साक्षी की साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, उसकी साक्ष्य की परीक्षा सूक्ष्म एवं गंभीर छानबीन के परीक्षण के आधार पर होना चाहिए। न्यायदृष्टांत **राजस्थान राज्य विरुद्ध श्रीमती कालकी ए०आई०आर०-1981 एस०सी०-1390** में अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी साक्षी को हितबद्ध तभी कहा जा सकता है जबकि उसे विवाद के नतीजे से कुछ लाभ होता हो। उक्त मामले में एक पत्नी जो पति की हत्या की साक्षी थी, उसे मान० सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण के परिणाम से कोई लाभ न होने के आधार पर हितबद्ध साक्षी नहीं माना।

11. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि केशकली अ०सा० 2 अभियोक्त्री की सगे चाचा की पत्नी हैं फिर भी साक्षियों द्वारा उसकी पहचान को छिपाने का प्रयास किया गया है ऐसे में अभियुक्त को असत्य रूप से लिप्त किया गया है। प्रकरण में अभियोक्त्री अ०सा० 1 उसके पिता के अन्यदो भाई राजाराम व रामहेत के रूप में बताती है किन्तु साक्षी केशकली को अपने चाचा रामहेत की पत्नी न होने का कथन करती हैं। केशकली अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में उसके पति रामहेत दो भाई बताती है एक भाई का नाम नत्थी बताती है जो कि अभियोक्त्री के पिता हैं। इस प्रकार से यह साक्षी अभियोक्त्री की सगी चाची होना स्वीकार करती है। नत्थीसिंह अ०सा० 3 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में रामहेत की पत्नी केशकली होना बताते हैं किन्तु यह साक्षी भी प्रकरण में साक्षी केशकली को अभियोक्त्री की सगी चाची होने के तथ्य से इंकार करते हैं। अभियुक्त की ओर से प्रकरण में ग्राम बैसपुरा भौनपुरा की मतदाता सूची के रूप में प्र०डी०-4 प्रस्तुत की गयी है जिसमें रामहेत की पत्नी के रूप में क्रमांक 278 पर केशकली का नाम लेख होने का तथ्य प्रकट किया है। प्रकरण में यद्यपि केशकली के रामहेत की पत्नी होने का तथ्य विवादित नहीं है मात्र वह अभियोक्त्री के परिवार की सदस्य है या नहीं, यह विवादित है। किन्तु यह सत्य भी मान लिया जावे कि अभियोक्त्री की सगी चाची केशकली है तो भी उसका अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त होता हो, इसका कोई आधार नहीं है।



12. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अनुसंधानकर्ता बाल्मीक चौबे अ0सा0 4 के संबंध में थाना एण्डोरी के अप0क्र0-109/16 की प्राथमिकी में काट छांट के संबंध में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा एम0सी0आर0सी0 नंबर 12046/16 में पारित आदेश दिनांक 21.10.16 के माध्यम से स्पष्टीकरण चाहे जाने के कारण इस अपराध में निष्पक्ष विवेचना न किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया है। प्र0डी0-6 के रूप में मान0 उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यप्रति को प्रस्तुत भी किया गया है किन्तु यह तथ्य स्पष्ट है कि इस प्रकरण का अपराध क्रमांक 142/15 है, जबकि जिस मामले में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया है वह अप0क्र0-109/16 था। इस प्रकार से उक्त दोनों ही मामले भिन्न भिन्न हैं। एक मामले के तथ्य व परिस्थितियां अन्य मामले के गुण दोष को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। जबकि स्वयं अभियुक्त राजपूत ब0सा0 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करता है कि उसे जानकारी नहीं है कि अनुसंधानकर्ता के संबंध में उक्त याचिका निरस्त हुई अथवा नहीं। ऐसे में अभिकथित याचिका में स्पष्टीकरण चाहे जाने का प्रभाव साक्षी के आक्षेपित आचरण का प्रमाणीकरण नहीं है।

13. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से उनके विद्ववान् अभिभाषक द्वारा अभियोक्त्री अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 के मध्य में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि उसने यह कथन किया है कि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में यह तथ्य लेख करा दिया था कि केशकली ने आते ही आरोपी को पत्थर मारा तब वह छोड़कर भागा था, किन्तु उक्त तथ्य प्र0पी0-1 की रिपोर्ट में लेख नहीं हैं। अतः प्राथमिकी प्र0पी0 1 में गंभीर विरोधाभास मौजूद है। अतः अभियोजन का मामला संदेहपूर्ण है। इस संबंध में उनकी ओर से न्यायदृष्टांत **संतोखसिंह विरूद्ध म0प्र0 राज्य 1988 (1) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट 50** के संबंध में आलंब लिया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने वाले का परीक्षण नहीं कराया जाना और तात्त्विक विशिष्टियों की कमी की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट शंकास्पद हो जाने का तर्क लिया है। प्रकरण में अभियोक्त्री द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में केशकली अ0सा0 2 नाम की महिला के आ जाने और फिर केशकली द्वारा अभियुक्त को पत्थर मारने जिससे अभियुक्त का आसन नदी की तरफ भाग जाने का कथन किया गया है। यद्यपि पत्थर मारने की बात लेख नहीं हैं किन्तु अभियोक्त्री के धारा 164 दफ़्तरी के कथन में इसका उल्लेख है। साथ ही अभिकथित तथ्य इस प्रकार का नहीं है कि वह सारवान विरोधाभास की श्रेणी में आता हो। ऐसे में आलंबित न्यायदृष्टांत के तथ्य व परिस्थितियां प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्नता के कारण लागू नहीं होता है तथा अभियुक्त को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

14. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से साक्षियों की अभिसाक्ष्य में जो तथ्य प्रतिपरीक्षण में दर्शाए गए हैं वे सारवान विरोधाभास की श्रेणी में नहीं आते मात्र सूक्ष्म विरोधाभास हैं जिनका अभियोजन के मामले पर कोई सारवान विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकरण में जहां अभियुक्त की ओर से उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किए जाने का कोई भी सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में एक 18-19 वर्षीय नवयुवती के द्वारा बिना किसी आधार के अभियुक्त को अपराध में आलिप्त किए जाने व स्वयं के प्रति अपराध कारित होने का कथन किए जाने का भारतीय परिवेश में युक्तियुक्त आधार दर्शित नहीं होता है। मात्र पारिवारिक रंजिश जिसका भी कोई आधार नहीं है, अभियुक्त को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता है।

15. अतः अभियोजन का मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.11.15 को 14:00 बजे नकटू की नरिया बैसपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर अभियोक्त्री, जो कि एक स्त्री है, की लज्जा का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 354 का आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

16. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं। उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

17. अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री की स्त्रीयोचित लज्जा को अनादर करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किए जाने का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्त का कृत्य गंभीर प्रकृति का व समाज में महिलाओं की दिनोंदिन प्रभावित हो रही स्थिति व अनादर के प्रति परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देना उचित नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही / -  
ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

#### पुनश्च:

18. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अभियुक्त के नवयुवक एवं के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

19. अभियुक्त यद्यपि ग्रामीण परिवेश का नवयुवक है और प्रकरण में निरंतर उपस्थित होता रहा है। कुछ समय अभिरक्षा में भी रहा है। साथ ही अभियोक्त्री जो घटना के समय नवयुवती

थी उसके मन पर अभियुक्त के कृत्य की छाप रहना संभव है। अभियुक्त के घृणित कृत्य को देखते हुए ऐसे दण्ड से जिससे भविष्य में व न केवल स्वयं बल्कि उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी अभियोक्त्री जैसी नवयुवती के मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के लिए एक उदाहरण हो सके। अतः समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को संहिता की धारा 354 के अधीन एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांचसौ रुपये अर्थदण्ड, जिसके संदाय में व्यतिक्रम की दशा में एक माह का सश्रम अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

20. प्रकरण में अभियोक्त्री के मन पर पड़े हुए दुष्प्रभाव को यद्यपि किसी प्रतिकर के माध्यम से पूर्ति किया जाना संभव नहीं हैं फिर भी उसकी पूर्ति के लिए प्रतिकर अधिरोपित करना प्रकरण की परिस्थिति में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में दफ़्त की धारा 357-1-ख के अधीन पांचसौ रुपये के प्रतिकर अपील अवधि पश्चात् अभियोक्त्री आवेदन के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी।

21. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदाय की जावे

22. जवत्शुदा संपत्ति कुछ नहीं।

23. अभियुक्त की अभिरक्षा, यदि कोई हो, के संबंध में धारा 428 दफ़्त का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश